झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रवेशिकोत्तर पाठयक्रमों में अध्ययरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र–छात्रओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष–2025–26 हेतु आवेदन से संबंधित आवयश्यक सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 के अनुसार (ई–कल्याण पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 की प्रति उपलब्ध) वित्तीय वर्श–2025–26 के लिए निम्न प्रकार ऑनलाईन आमंत्रित किए जाते हैं:–

ऑनलाईन आवेदन की समय सीमाः–

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई–कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि।	31.12.2025
2.	शैक्षणिक सत्र–2025–26 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि।	31.01.2026
3.	सम्बंधित शैक्षणिक संस्थान के Institute Nodal Officer (INO) द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की अंतिम तिथि।	28.02.2026
4.	सम्बंधित District Nodal Officer (DNO) द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की अंतिम तिथि।	31.03.2026

नोट :–

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से सम्बंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिशा–निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट http://ekalyan.cgg.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए गए निर्देश को अवश्य देख लें।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 के द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों का अनुपालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जाए। (ई–कल्याण पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 की प्रति उपलब्ध)
- निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक छात्र–छात्रा आधार आधारित बैंक खाता KYC कराने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि/अशुद्धि/गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

आदिवासी कल्याण आयुक्त।